न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

194

Appl- 1091-II/16

(20रु कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20)

पप्पू उर्फ असलम खां बल्द हफीज खां
साकिन गढ़ी मुहल्ला बजरिया वार्ड दमोह, तहसील व जिला, दमोह

......पुनरीक्षणकर्ता/अपीलार्थी

बनाम्

1. श्रीमती नसरीन बेगम पत्नी फारूख अहमद
2. श्रीमती मुन्नी बी पत्नी गुल्लन उर्फ फारूख अहमद
   दोनों साकिन बजरिया वार्ड नं. 2 गढ़ी मुहल्ला दमोह
3. श्रीमती नसीम पुत्री हफीज पत्नी अब्दुल जब्बार
   साकिन मगरौन तहसील बटियागढ़ जिला, दमोह ....उत्तरवादीगण

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता । विरूद्ध आदेश दिनांक 8/3/2016 पारित द्वारा श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय सागर संभाग, सागर अंदर अपील कमांक 602 अ/6 वर्ष 2014–2015 पक्षकार पप्पू उर्फ असलम खां बनाम श्रीमती नसरीन + अन्य जिसमें विद्वान अतिरिक्त कमिश्नर द्वारा अपीलार्थी निरस्त कर दी गयी है ।

मामले के संक्षिप्त तथ्य :–

मामले के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि उत्तरवादी श्रीमती नसरीन ने मौजा मगरौन ह.नं. 17 तहसील बटियागढ़ जिला दमोह में स्थित 2.53 हे. भूमि पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया था कि उक्त भूमि आमना बी (श्रीमती नसरीन की सास) के नाम पर अभिलिखित है । आमना बी का स्वर्गवास हो गया है । आमना बी उक्त संपत्ति उनके पति फारूख अहमद तथा अपीलार्थी के पक्ष में 12/10/95 को वसीयत कर दी गई थी, इस प्रकार उनके पति वारिस हुए इससे नामांतरण किया जावे ।

असलम खान

-2-

# राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1091–दो/16 जिला –दमोह

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों आदि के अभिभाषक के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 18.7.16 | आवेदक के अधिवक्ता श्री महेन्द्र पाटकार उपस्थित। अनावेदक के अधिवक्ता श्री दिलीप पासी उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 3 सहपठित धारा 151 सी0पी0सी0 का प्रस्तुत कर लेख किया है कि आवेदक पप्पू उर्फ असलम खां वल्द श्री हफीज खां निवासी गढ़ी मुहल्ला बजरिया वार्ड दमोह तह0 व जिला दमोह एवं अनावेदक श्रीमति नसरीन बेगम पत्नि फारूख उर्फ गुल्लन अहमद, श्रीमती मुन्नी बी पत्नि फारूख उर्फ गुल्लन अहमद दोना निवासी बजरिया वार्ड न0 2 गढी मुहल्ला दमोह, श्रीमति नसीम पुत्री हफीज खां पत्नि अब्दुल जब्बार निवासी मगरौन तहसील बटियागढ जिला दमोह के मध्य राजीनामा हो गया है।<br>2– उभयपक्ष द्वारा अपने अपने परिचय पत्र के रूप में वोटर कार्ड, एवं आधार कार्ड प्रस्तुत किये हैं । उभयपक्ष द्वारा शपथपत्र भी प्रस्तुत किये गये हैं कि उनके मध्य राजीनामा हो गया है । उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि वह एक ही परिवार के सदस्य हैं। अब उनके मध्य कोई लडाई झगडा नहीं है इसलिये प्रकरण राजीनामा के आधार पर ही समाप्त किया जावे।<br>3–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के निवेदन पर एवं उभयपक्ष के निवेदन पर प्रकरण राजीनामा के आधार पर समाप्त किया जाता है।<br>सदस्य | |

असलम खान